

निर्धारित तिथि को निश्चित रूप
से उपस्थित होकर अपना पत्र प्रस्तुत
करें। यह उन्हें अनिवार्य अवसर
दिया जाता है। अपीलकर्ता अगली
निर्धारित तिथि को निश्चित रूप
से उपस्थित होकर अपना पत्र प्रस्तुत
करें। अन्ततः बाद की कार्यवाही
समाप्त कर दी जाती है। अभिलेख
दिनांक 17.11.2017 को है।

31/10

उपस्थित - कर -
विषयक सामान्य मसौदा

17.11.2017

अपीलकर्ता आज भी अनुपस्थित
हैं। अभिलेख में अपीलकर्ता से पता
चलता है कि अपीलकर्ता बिना कोई
तिथि से लगातार अनुपस्थित हैं।
अपीलकर्ता से पता है कि अपीलकर्ता
को इस बात की प्रति कोई भी सूचना
नहीं दी गई है। दिनांक 10.10.2017
को पत्रित अपीलकर्ता अपीलकर्ता को
बिना अविवेकता से हटाकर अपने
दिनांक 31.10.2017 को पत्रित अपीलकर्ता
को करत अनिवार्य अवसर देने से
आवश्यक को अपीलकर्ता अनुपस्थित
हैं। अतः उपरोक्त पत्रित परिवर्धन से
इस बात की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
अभिलेख

उपस्थित - कर -
विषयक सामान्य मसौदा

उपस्थित - कर -
विषयक सामान्य मसौदा